न्यायालय जिला कलेक्टर,टोंक

(सुबे सिंह यादव,आई0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 12/2018

शाहबाज खान पुत्र निसार अहमद निवासी हकीम याहया मियां का मकान सरदार रेजिडेन्सिल पैलेस पंचकुईया पुरानी टोंक राज0

––अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एंव प्रभारी अधिकारी सामान्य शाखा कलेक्ट्रेट टोंक

–प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय **दिनांक 14.03.2018**

अपील अपीलाण्ट संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत लोक सूचना अधिकारी एंव अति0जिला कलेक्टर टोंक को आवेदन पत्र दिनांक 27.01.2018 प्रस्तुत करने पर लोक सूचना अधिकारी एंव अति0जिला कलेक्टर टोंक द्वारा सूचना उपलब्ध करवाने हेतु आवेदन पत्र को लोक सूचना अधिकारी एंव प्रभारी अधिकारी सामान्य शाखा कलेक्ट्रेट टोंक को अन्तरित किया गया। अपीलाण्ट द्वारा निम्न वर्णित सूचना चाही गईः–

1–श्रीमान गणतंत्र दिवस 2018 के लिए खेल प्रतिभाओ को सम्मानित करने के लिए चयन समिति के नामो की सूचि की सत्यापित प्रति उपलब्ध करवाई जावे।

2–श्रीमान Acadamy to Record कितनी चोल पृविष्टिया प्राप्त हुई उनकी सत्यापित प्रतियां उपलब्ध करवाई जावे तथा प्राप्त खेल पृविष्टिया मे कितने खिलाडी National Medalist है उनमे स्कूल, यूनिवर्सिटी तथा Open Games के कितने–कितने National Medalist है इसकी सूचना उपलब्ध करवाई जावे।

3–श्रीमान Gazette Notification 23.09.1997 एंव संशोधित Gazette Notification 15.03. 2013 की अनुपालना मे चयन समिति से उत्कृष्ट खिलाडी Outsanding Sportman की परिभाषा की सूचना उपलब्ध करवाई जावे।

4–श्रीमान चयन समिति द्वारा खेल के क्षेत्र की प्रतिभावाओ की चयन प्रक्रिया मे शुद्व पारदर्शिता नही अपनाई गई तथा भेदभाव एंव पक्षपात पूर्ण रवैया अपनाकर चयन किया गया है यदि चयन समिति के सदस्यो पर यह आरोप सिद्व हो जाने है तो उन्हें Blacklist या हमेशा के लिए खेल प्रतिभाओ के चयन प्रक्रिया से वंचित रखा जायेगा या नही CIC के दिनांक 06.10.2016 के अहम निर्णय एंव निर्देशो की पालना मे स्थिति स्पष्ट करते हुए सूचना उपलब्ध करवाई जावे।

जैसे माननीय High Court के निर्णयानुसार RPSC द्वारा गलत नम्बर देने पर Blacklist की कार्यवाही अंकेक्षके पर की जा चुकी है तथा गलत जानकारी देने पर अभ्यर्थीयो को भी RPSC अजमेर द्वारा हमेशा के लिए Debar किया जा चुका है।

5–श्रीमान खेल से संबंधित प्रतिभाओ को सम्मानित करने के लिए चयन समिति मे International Medalist को सम्मिलित किया जाता है पिछले दस वर्षो मे सम्मिलित International Medalist की सूचि उपलब्ध करवाई जावे।

6–श्रीमान वर्ष 2018 के गणतंत्र दिवस समारोह मे खेल के क्षेत्र मे सबसे नीचे पदकधारी तथा ऊंचे पदकधारी Lower Medalist and Upper Medalist की सूचना पारदर्शिता हेतु RTI 2005 के प्रावधानो के अनुरूप उपलब्ध करवाई जावे।

7–श्रीमान गणतंत्र दिवस पर प्रतिभाओ को सम्मानित करने की संख्या निश्चित हो तो उसकी सूचना उपलब्ध करवाई जावे,वर्ष 2018 के लिए गणतंत्र दिवस पर सम्मानित की गई प्रतिभाओ की सूचि की सत्यापित प्रति हस्ताक्षर युक्त उपलब्ध करवाई जावे।

8–श्रीमान संलग्न आवेदन दिनांक 12.12.2017 मे अंकित दोनो खिलाडी Outsanding Sportman है उन्हें खेल के क्षेत्र की प्रतिभाओ मे सम्मानित नही करने की कार्यालय टिप्पणी सहित सत्यापित प्रतियां उपलब्ध करवाई जावे श्रीमान चयन समिति पर पक्षपात एंव भेदभाव करने वाले सदस्यो को CIC के निर्देशानुसार तथा माननीय उच्च न्यायालय के सम्मान मे Blacklist एंव Debar किया जायेगा या नही CIC के 06.10.2016 के निर्देशानुसार स्थिति स्पष्ट करते हुए RTI 2005 की धारा 6(1) के अन्तर्गत बिन्दुवार सूचना RTI 2005 की धारा 7(1) के अन्तर्गत नियत समयावधि मे उपलब्ध करवाई जावे।

अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई। अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई तथा अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलार्थी उपस्थित नही हुऐ। लोक सूचना अधिकारी एंव प्रभारी अधिकारी सामान्य शाखा कलेक्ट्रेट टोंक को पत्र क्रमांक 414 दिनांक 28.02.2018 द्वारा जवाब भिजवाने हेतु निर्देशित करने पर लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी सामान्य शाखा कलेक्ट्रेट टोंक ने पत्र क्रमांक 2203 दिनांक 05.03.2018 से जवाब प्रेषित किया है कि अपीलार्थी को पत्र क्रमांक 1828 दिनांक 15.02.2018 से सूचना जो कि 116 पृष्ठ है तैयार की जाकर निर्धारित सूचना शुल्क 2 रूपये प्रति पृष्ठ की दर से सूचना शुल्क जमा करवाते हुए सूचना प्राप्त करने हेतु सूचित किया जा चुका है।

फलतः अपील अपीलाण्ट अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी एंव प्रभारी अधिकारी सामान्य शाखा कलेक्ट्रेट टोंक तथा अपीलार्थी को प्रेषित की जावे।

(सुबे सिंह यादव)
जिला कलेक्टर एंव
प्रथम अपील अधिकारी टोंक